भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2663
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्तों का आतंक

2663. एडवोकेट अद्वूर प्रकाशः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि आवारा कुत्तों का आतंक एक गंभीर समस्या बन गया है और केरल सहित कई राज्यों में रेबीज से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यवार क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने नवंबर, 2024 में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक परामर्श जारी किया था और यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त निर्देश के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है और एबीसी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई सहायता प्रदान की है और यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को केरल सहित अन्य राज्यों से एबीसी नियमों में छूट के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को देखते हुए एबीसी नियमों में छूट देने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म (IHIP) में दी गई सूचना के अनुसार, मानव (ह्यूमन) रेबीज़ के संभावित मामलों के केरल सहित राज्य-वार आंकड़े संलग्न हैं।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ब) के अनुसार, नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का अधिकार है। नगर पालिकाएँ आवारा कुत्तों की आबादी को स्थिर करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम लागू कर रही हैं।

इस पहल को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को सा.का.नि. 193 (अ) दिनांक 10 मार्च 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया, जो पहले के एबीसी (कुत्ते) नियम, 2001 का स्थान लेगा। ये नियम कुत्तों की आबादी के प्रबंधन के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में नपुंसकीकरण और एंटी-रेबीज टीकाकरण पर जोर देते हैं।

केंद्र सरकार और भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने एबीसी कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई परामर्शियां जारी की हैं। हाल ही में, दिनांक 21 जुलाई 2025 को, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के सचिवों ने सभी मुख्य सचिवों को एक संयुक्त परामर्शी जारी की, जिसमें एबीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और आवश्यक अवसंरचना तैयार करने का आग्रह किया गया।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण की मौजूदा योजना को संशोधित किया है, जिसे चालू वित्त वर्ष से एडब्ल्यूबीआई के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। संशोधित योजना के अंतर्गत:

- एबीसी नियम, 2023 के अनुसार संचालन के लिए एसपीसीए और स्थानीय निकायों के लिए प्रति कुत्ता 800 रुपये और प्रति बिल्ली 600 रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- सर्जिकल थिएटर, केनेल और रिकवरी यूनिट सहित अवसंरचना तैयार करने के लिए राज्य द्वारा संचालित पशु चिकित्सा अस्पतालों के लिए 2 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत, डीएएचडी राज्यों को एंटी-रेबीज टीकों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) का क्रियान्वयन करता है। राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीतियों में पशु के काटे का प्रबंधन, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, पशु के काटे की निगरानी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय निशुल्क औषधी पहल के माध्यम से पशु के काटे के पीड़ितों के लिए एंटी-रेबीज़ वैक्सीन की खरीद का प्रावधान और जागरूकता पैदा करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) कार्यकलाप शामिल है।

(ग) जी हाँ। पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने सभी राज्यों को एक परामर्शी जारी की है, जिसमें कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए एबीसी नियम, 2023 के कार्यान्वयन सहित कुत्ता आबादी के प्रभावी प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा दी गई है।

(घ) एबीसी कार्यक्रम की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है, जिसमें एक राज्य निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार ने कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने एबीसी से संबंधित कार्यकलापों पर राज्यों से समय-समय पर रिपोर्ट मांगी है।

केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण के लिए मौजूदा योजना को संशोधित किया है, जिसे चालू वित्त वर्ष से एडब्ल्यूबीआई के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है, जिसमें एबीसी नियम, 2023 के अनुसार संचालन के लिए एसपीसीए और स्थानीय निकायों को प्रति कुत्ते 800 रुपए और प्रति बिल्ली 600 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) केरल सरकार के पशुपालन विभाग ने सरकारी पशु चिकित्सकों को पशु औषधालयों में पशु जन्म नियंत्रण (ABC) प्रक्रियाएं करने की अनुमति देने के लिए अनुमोदन मांगा था। पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्य में निर्दिष्ट पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिकों में एबीसी ऑपरेशनों की अनुमति दे दी है।

***

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2663
दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
एडवोकेट अद्दूर प्रकाश द्वारा पूछा गया

अनुबंध

राज्य	वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024	
	संभावित मामले (मानव रेबीज़)		संभावित मामले (मानव रेबीज़))		संभावित मामले (मानव रेबीज़)	
	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	220	6	32	36	41	39
अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	0	1	0
असम	79	0	75	3	117	6
बिहार	226	0	64	3	59	2
चंडीगढ़	1	0	1	0	0	0
छत्तीसगढ	68	0	17	1	4	1
दिल्ली	37	0	37	0	77	0
गोवा	3	0	4	0	0	0
गुजरात	120	0	12	4	11	7
हरियाणा	106	0	40	0	11	0
हिमाचल प्रदेश	13	0	4	1	8	2
जम्मू और कश्मीर	2	0	4	4	1	5
झारखंड	27	0	27	2	33	1
कर्नाटक	321	1	267	18	139	42
केरल	0	0	314	1	65	8
लद्दाख	1	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	315	0	633	0	121	0
महाराष्ट्र	421	10	119	23	119	10
मणिपुर	2	0	1	0	15	1
मेघालय	0	0	12	7	23	13
मिजोरम	0	0	0	0	1	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	87	0	12	0	6	0
पुदुचेरी	2	0	0	0	8	0
पंजाब	32	0	19	0	56	0
राजस्थान	777	0	254	0	98	0
सिक्किम	2	0	3	0	0	0
तमिलनाडु	412	5	148	18	24	43
तेलंगाना	216	0	66	0	0	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	1	0
त्रिपुरा	1	0	2	0	3	0
उत्तराखंड	8	0	6	0	3	0
उत्तर प्रदेश	1380	0	48	0	34	0
पश्चिम बंगाल	4	0	2	0	0	0
कुल	4885	22	2223	121	1079	180